न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ साधना शर्मा (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या : 15/2018
जीसीएमएस संख्याः 2018/00021

रामविलास पुत्र श्री तुलाराम जाति जाटव निवासी ग्राम सूरजपुरा तहसील व जिला धौलपुर ....वादी

बनाम

1. रामचरन। पुत्रगण नेनुआ जाति जाटव निवासी ग्राम सूरजपुरा तहसील व जिला
2. हरीचंद । धौलपुर राजस्थान ....मूल प्रतिवादीगण
3. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय धौलपुर राज0 ......तरतीवी प्रतिवादी

दावा बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक 07.07.2025

वादी ने विरूद्व प्रतिवादीगण दिनांक 09.01.2018 को एक राजस्व वाद [illegible] बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय में पेश किया। जो बाद तहकीकात दिनांक 21.06.2018 को प्रांरम्भिक रूप से डिक्री किया गया, तथा तहसीलदार धौलपुर से विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। तहसीलदार धौलपुर ने पत्रांक 416 दिनांक 25.06.2024 से विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में प्रेषित किये है।

तहसीलदार धौलपुर के द्वारा प्राप्त हुए प्राप्त विभाजन प्रस्तावों के अवलोकन किया गया पर विभाजन प्रस्ताव में दर्ज पक्षकारों एवं पत्रावली में प्रस्तुत विवादित आराजी की जमाबंदी सम्वत् 2073–74 में दर्ज पक्षकारों के भिन्न होने के कारण तहसीलदार धौलपुर से इस संबंध में रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार धौलपुर ने पत्रांक 483 दिनांक 27.06.2025 से रिपोर्ट भिजवाई। उक्त रिपोर्ट एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया एवं वकील वादी को सुना गया। वकील वादी ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वकील वादी की बहस सुनी गई, वकील वादी ने विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति जाहिर की, एवं मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकील वादी की बहस का मनन किया एवं तहसीलदार धौलपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव, रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों का अवलोकन किया। विभाजन प्रस्ताव विवादित आराजी पर वर्तमान खातेदार काश्तकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही है। ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर पक्षकारों को विवादित आराजी खसरा नम्बर 406, 449 स्थित ग्राम सूरजपुरा तहसील व जिला धौलपुर में निम्नानुसार पृथक– पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:–

खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकवा	किस्म
1. रामविलास पुत्र तुलाराम जाति जाटव हि0 पूर्ण सा.देह खातेदार	449/1	0.1486 है0	चा0पा0

उपखण्डाधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

2. रवि कुमार पुत्र महावीर सिंह हि0 पूर्ण जाति जाटव सा. देह खातेदार — 406/1 — 0.1320 है0

3. रामचरन पुत्र ननुआ हि0 1003/1169 हरीचंद पुत्र ननुआ हि0 166/1169 जाति जाटव सा. देह खातेदार — 449/2 — 0.1176 है0

4. रामचरन पुत्र ननुआ जाति जाटव हि. पूर्ण सा. देह खातेदार — 406/2 — 0.1968 है0

कुल किता 4 रकबा 0.5943 हैक्टेयर बाके ग्राम सूरजपुरा तहसील व जिला धौलपुर कुल लगान 4.75 रूपये।

उपरोक्तानुसार ही पक्षकारों के खाते एवं लगान पृथक– पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। विवादित आराजी के कुल लगान 4 रूपये 75 पैसे के बीस गुना राशि पर देय मुद्रांक कर 9 रूपये 50 पैसे के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश होने पर डिक्री जारी हो पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 07.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ साधना श...)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्डाधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)